संख्या-181/2016/1439/22-4-16-48(75)15

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 07 दिसम्बर, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद बन्दियों को परिजनों से दूरभाष पर वार्ता करने की सुविधा को और अधिक सार्थक एवं उपयोगी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37012/आधु-1/पीसीओ/2014, दिनांक-15.10.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-161/2015/886/22-4-15-48(75)/15, दिनांक 11.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद बन्दियों को परिजनों से दूरभाष पर वार्ता करने की सुविधा को और अधिक सार्थक एवं उपयोगी बनाये जाने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) दिनांक-11.08.2015 के बिन्दु संख्या-5 व 6 में उल्लिखित प्राविधान में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

बिन्दु संख्या-5

कारागारों में प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का फोटोग्राफ तथा उसके फिंगर प्रिन्ट लिए जायेंगे एवं उसके परिजनों (यथा पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री आदि सम्बन्धियों) के पोस्टपेड के साथ प्री-पेड दूरभाष नम्बर प्राप्त कर डेटाबेस में संरक्षित किये जायेंगे।

बिन्दु संख्या-6

बन्दी द्वारा उपलब्ध कराये गये दोनों दूरभाष नम्बरों की पुष्टि अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाने से कराई जायेगी। बन्दी द्वारा जिस परिजन का नम्बर दिया गया है, उससे पोस्टपेड टेलीफोन के जमा बिल की छायाप्रति प्राप्त की जायेगी तथा पोस्टपेड एवं प्री-पेड दोनो कनेक्शन के संदर्भ में " मेरे द्वारा अमुक आईडी एवं एड्रेस प्रूफ देकर प्री-पेड/पोस्टपेड नम्बर लिया गया है, इसका उपयोग मेरे द्वारा किया जाता है तथा इसके उपयोग के सम्बन्ध में मेरा सम्पूर्ण दायित्व होगा" के उल्लेख के साथ शपथ-पत्र दिया जायेगा।

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-161/2015/886/22-4-15-48(75)/15, दिनांक 11.08.2015 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in